

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक: स्था (रा.न्या.से.) अवकाश / 1228 / 2022

दिनांक : 07.04.2022

श्रीमती रामकल्या सोनी (RJ0770), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II को दिनांक 28.03.2022 से 29.03.2022 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 26.03.2022 से 27.03.2022 के राजपत्रित अवकाशों एवं 25.03.2022 के स्थानीय अवकाश के उपयोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती सोनी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 06.04.2022

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/53/2013/2738

दिनांक : 07.04.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1861 दिनांक 30.03.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रामकल्या सोनी (RJ0770), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (साम्प्रदायिक दंगा प्रकरण), जयपुर महानगर-II
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), जयपुर महानगर-II


सहायक रजिस्ट्रार